प्रपत्र–एम.एम. 13 (20वाँ)

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79 देखिये)

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता :

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय :

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध, :
अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) :

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय :

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का योग
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 77 के उपनियम (4) में विहित रीति में से 500.00 रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।

(8) पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता .

(9) याचिका, की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–
(क) संक्षिप्त तथ्य,
(ख) आधार,
(ग) प्रार्थना,

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Altorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

प्रपत्र एम एम–14

(देखें नियम 9(2)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री, श्री ..... आयु लगभग .....वर्ष, निवासी ग्राम .....

तहसील ..... पुलिस थाना ....., जिला .....

अपनी जीविका के लिये पारम्परिक रूप से बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर के उत्खनन कार्य में संलग्न है और सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित ..... जाति के व्यक्ति है।

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/
उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)

उ.प्र. उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के अन्तर्गत प्रतिनिधान–विज्ञाप्तिकरण
DELIGATION- NOTIFICATION

उत्तर प्रदेश सरकार

1. संख्या – 959 / 18–12–95–213 / 79 टी.सी.

उद्योग अनुभाग – 12

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 71 के अधीन शक्ति का प्रयोग करे राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि बालू, मोरंग, बजरी ओर बोल्डरों के खनन पट्टों के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 10 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन राज्यपाल सरकार द्वारा प्रयोज्य शक्ति का प्रयोग जिला अधिकारियों द्वारा भी अपने–अपने जिले में भीतर किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

2. सं. 2380 / 18–11–97–601–67 उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अनुभाग – 11

विविध

5 जून, 1997 ई.

सं. 2380 / 18–11–97–601–67– उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 71 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 968–एम / 18 एफ.एम 68 / 63 दिनांक 12 दिसम्बर, 1963, संख्या 3369–एम / 18–एफ–68–63, दिनांक 16 जनवरी, 1965, संख्या 4343 / 18–12–90 –601 / 87, दिनांक 29 अगस्त, 1990 और सरकारी आदेश संख्या 4343–एक / 18–12–89–601–87 दिनांक 29 अगस्त 1990 का अतिक्रमण करके यह निदेश देते है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ – 2 में उल्लिखित उक्त नियमावली के नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग, उक्त अनुसूची के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में और शर्तों के अधीन रखते हुए, स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर, स्तम्भ – 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट, यथा स्थिति, अधिकारी या समिति द्वारा भी किया जा सकता है :

अनुसूची

क्रम	नियम	अधिकारी या समिति	अधिकारिता का क्षेत्र	ऐसे मामले जिनके संबंध में और ऐसी शर्त जिनके अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।
1	2	3	4	5
1	8(1)	(एक) समिति, जिसे आगे उक्त समिति कहा गया है, जिसमें सम्बद्ध जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे और प्रभागीय वन अधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के यथा स्थिति क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक या खान अधिकारी सदस्य होंगे।	जिले में आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर	चूना पत्थर संगमरमर और ग्रेनाइट साइज्ड डायमेन्शनल स्टोन से भिन्न ऐसे समस्त उप खनिजों के सम्बन्ध में, जिन पर उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 लागू होती है।
		(दो) जिला अधिकारी	जिले के भीतर आरक्षित वन क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र	तदैव
2	9(1)	(एक) उक्त समिति	जिले में आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर	तदैव
		(दो) जिला अधिकारी	जिले के भीतर आरक्षित वन क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र	तदैव